Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

जगमाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी चक 5 एनएम तहसील अनूपगढ

बनाम

गोपीराम पुत्र रेवंतराम जाति जाट निवासी चक 5 एनएम तहसील अनूपगढ

किस्म मुकदमा:–शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

प्रकरण सं.– 09 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2023		

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों अनुपस्थित। पैरोकार राज हाजिर। पत्रावली के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी गोपीराम को चक 5 एनएम मुरब्बा न. 58 पत्थर न. 25/42 के किला न. 3 ता 5 व किला न. 6 व किला न. 15 ता 18 व किला न. 25 में कुल 9.00 बीघा भूमि नाजायज तौर पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा आवंटित की गई। जबकि उक्त रकबा आवंटन से पूर्व से ही आज तक वन विभाग के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड अंकित है। मौके पर गोपीराम ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि की आवंटन पत्रावली उपखण्ड़ अधिकारी रायसिंहनगर के कार्यालय मे उपलध नहीं है। इसी मुरब्बा में गोपीराम के पिता रेवंतराम पुत्र नानूराम ने मुरब्बा न. 25/42 में 9.12 बीघा का गलत आवंटन करवाकर कब्जा कर रखा था, जो न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के विधिक प्रकरण संख्या 55/1999 अनवान जगमाल पुत्र मोहनलाल बनाम रेवन्तराम पुत्र नानुराम में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी गोपीराम का आवंटन गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी गोपीराम को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा किया गया चक 5 एनएम मुरब्बा न. 58 पत्थर न. 25/42 के किला न. 3 ता 5 व किला न. 6 व किला न. 15 ता 18 व किला न. 25 में कुल 9.00 बीघा का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ से जैर प्रकरण भूमि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट मंगवाई गई, जो उनके पत्रांक टीआरए/धारा 11–14/2016/ 302 दिनांक 16.02.2016 द्वारा प्राप्त हुई। तहसील अनूपगढ़ से जैर प्रकरण भूमि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तथा संबंधित अभिलेख चाहा गया था, जो आज दिनांक अप्राप्त है। पैरोकार राज ने चक 5 एनएम तहसील अनूपगढ़ की सम्वत 2042 से 2046 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2014 से जैरकार है तथा प्रकरण राज्य हित से संबंधित है। अतः प्रकरण में पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

पैरोकार ने दौराने बहस रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 5 एनएम मुरब्बा न. 58 पत्थर न. 25/42 का किला न. 1 ता 22 का 5.439 है0 मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी वन विभाग के नाम दर्ज है। किला न. 23 व 24 का 0.506 है0 कमाण्ड़ भूमि गोपीराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट खातेदार दर्ज है तथा किला न. 25 का 0.253 है0 रकबा आराजीराज दर्ज है। उक्त आराजीराज रकबा मु.न. 58 पत्थर न. 25/42 के किला न. 25 की 0.253 हे0 भूमि पर गोपीराम पुत्र रेवन्तराम जाट ने आवासीय ढाणी बना रखी है। इसी मुरब्बा में गोपीराम के पिता रेवंतराम पुत्र नानूराम ने मुरब्बा न. 25/42 में 9.12 बीघा का गलत आवंटन करवाकर कब्जा कर रखा था, जो न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के विधिक प्रकरण संख्या 55/1999 अनवान जगमाल पुत्र मोहनलाल बनाम रेवन्तराम पुत्र नानुराम में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2012 द्वारा खारिज कर उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को सौंपने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी गोपीराम को उक्त रकबा आवंट[illegible] नहीं है। अतः श्रीमान आवंटन अधिकारी एंव उपखण्ड़ अधिकारी, रायसिंहन[illegible] पुत्र रेवंतराम को किये गये आवंटन को निरस्त कि[illegible]

हमने पैरोकार राज की [illegible] मनन किया पत्रा[illegible] की गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध श्री[illegible] जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 55/1999 अनवान जग[illegible] रेवन्तराम में पा[illegible] निर्णय दिनांक 19.06.2012 की फोटोकॉपी के अवलोकन से पाया कि श्रीमान जिला कलक्टर ने अपना उक्त निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 202/95 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के प्रकाश में पारित किया है । उक्त निर्णय अनुसार कोई भूमि जो राजकीय रिकार्ड में वन विभाग के नाम से दर्ज है वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि मानी जावेगी। उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में चक 5 एनएम तहसील अनूपगढ़ की सम्वत 2042 से 2046 की जमाबंदी अनुसार मु.न. 58 पत्थर न. 25/42 का किला न. 1 ता 22 की 21.10 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलबध नहीं थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(10) के तहत भी वन विभाग की भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति को नही दी जा सकती। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण में वर्णित जैर प्रार्थना पत्र भूमि वन विभाग की होने के कारण अप्रार्थी गोपीराम को किया गया आवंटन अवैद्य एवं शून्य है और इस आवंटन आदेश से अप्रार्थी गोपीराम को जैर प्रार्थना भूमि में कोई कानूनी अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी गोपीराम को दिनांक 14.04.1989 को किया गया चक 5 एनएम मुरब्बा न. 58 पत्थर न. 25/42 के किला न. 3 ता 5 व किला न. 6 व किला न. 15 ता 18 व किला न. 25 में कुल 9.00 बीघा का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि जैर प्रार्थना पत्र भूमि का कब्जा वन विभाग को संभलाने की नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner